कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी–1/असंपूमैछा/2022–23/8 दिनांकः–26/07/2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–मुख्यालय

विषयः– अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति–नूतन एवं नवीनीकरण (Fresh & Renewal) हेतु सत्र 2022–23 के लिए आवेदन करने हेतु दिशा–निर्देश।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi (Zoroastrian))से सम्बद्ध राजस्थान प्रदेश में स्थित समस्त केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त राजकीय एवं गैर राजकीय (निजी) विद्यालयों, पंजीकृत मदरसों एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा संचालित मॉडल स्कूल आदि में सत्र 2022–23 हेतु कक्षा 1 से 10 तक में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्र/छात्रा द्वारा अपने अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान की सहायता से सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निर्धारित आवेदन–पत्र नेशनल स्कॉलरशिप वेब पोर्टल (National Scholarship Portal of Government of India)के URL www.scholarships.gov.in. पर दिनांक 20.07.2022 से आवेदन प्रारंभ किये जा चुके है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट www.minorityaffairs.gov.in. पर भी इस हेतु Link उपलब्ध है।

कक्षा 1 से 10 तक के अल्पसंख्यक समुदायों के समस्त पात्र विद्यार्थियों को ऑन–लाईन आवेदन करना है। संस्था प्रधान इसमें विद्यार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करें । अन्य किसी भी माध्यम से offline आवेदन स्वीकार नही किए जाऐगें।
अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु ऑन–लाईन आवेदन किये जाने की प्रारंभ एवं अंतिम तिथि

क्र.स.	कार्य	तिथि
1	**Opening of Portal**	**20th July, 2022**
2	**Last date for Application Submission**	**30th September, 2022**
3	**Last date for INO Level Verification (Level-1)**	**16th October, 2022**
4	**Last date for DNO Level Verification (Level-2)**	**31th Octoer, 2022**

अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य के समस्त संस्थाओं एवं जिला नोडल अधिकारी के द्वारा निम्न दिशा–निर्देशों की पालना की जानी सुनिश्चित करें:–

1. समस्त ऐसे संस्थान जिनके **Valid U-DISE** कोड उपलब्ध है वे अपना अनिवार्य पंजीकरण (Registered) कराएं और अपना केवाईसी और आधार – डेमो – प्रमाणीकरण (Aadhar-Demo-Authentication)जल्द से जल्द करवाएं। साथ ही वे अपने पाठ्यक्रम का विवरण एनएसपी पोर्टल पर जल्द से जल्द अपडेट करवाएं ताकि आपके विद्यालय में अध्ययनरत छात्र आवेदन कर सकें और आपके द्वारा समय सीमा के भीतर पोर्टल पर ऐसे आवेदनों को सत्यापित किया जा सकें।
2. अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा की सख्ती से पालना करना सुनिश्चित करें ताकि ऑनलाइन आवेदन सबमिशन, सत्यापन, मेरिट लिस्ट और भुगतान की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न

होने वाली तकनीकी समस्या, का समाधान एनआईसी मुख्यालय या राज्य एनआईसी के परामर्श से जल्द से जल्द हल की जा सके।

3. प्रायः देखा गया है कि सत्यापन की अंतिम तिथि के बाद, बड़ी संख्या में नए (Fresh) और साथ ही नवीकरण (Renewal) आवेदन संस्थान के नोडल अधिकारियों (**INO**) द्वारा प्रथम स्तर (L-1) पर और जिला नोडल अधिकारियों (DNO) द्वारा द्वितीय स्तर (L-2) पर सत्यापन के लिए लंबित छोड़ दिये जाते है। सभी संस्थान नोडल अधिकारी/जिला नोडल अधिकारी (INO/DNO) को निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2022–23 के दौरान प्रथम व द्वितीय लेवल पर सत्यापन की निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व शत प्रतिशत आवेदन सत्यापित करना सुनिश्चित करे।
4. सभी सत्यापन प्राधिकारियों (आईएनओ/डीएनओ) को निर्देशित किया जाता है कि वे किसी आवेदन को नकली **(Fake)** तभी चिह्नित **(Mark)** करें जब वह संतुष्ट हो कि आवेदक एक वास्तविक छात्र नहीं **(not a bonafide student)** है। अन्य परिस्थितियों में , पात्रता मानदंड को पूरा न करने या अभिलेखों की असंगति के मामले में, सत्यापन प्राधिकारी या तो आवेदन को अस्वीकार **(Reject)** कर सकता है या इसे दोषपूर्ण **(Defective)** चिह्नित कर सकता है और आवेदक को अपने रिकॉर्ड को सही करने का एक और अवसर दे सकता है।
5. सभी जिला नोडल अधिकारी (**DNO**) को निर्देशित किया जाता है कि यदि डीएनओ द्वारा किसी भी आवेदन को द्वितीय स्तर (L-2) पर नकली चिह्नित **(Fake Mark)** किया जाता है, तो उस स्कूल/संस्थान से आवेदनों का पूरा समूह **(All verified allpications)** संबंधित आईएनओ लॉगिन (**INO Login**) पर वापस चली जाएगी। उस विद्यालय/संस्थान के द्वारा पुनः सत्यापन **(re-verification)** करना होगा। इसलिए डीएनओएस (**DNO**) को निर्देशित किया जाता है कि वे किसी आवेदन को नकली चिह्नित **(Fake Mark)** करने के विकल्प का उपयोग करते समय सावधानी बरतें।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का अल्पसंख्यक छात्रों को अधिकाधिक लाभ मिले, इसके लिए अपने जिले में निःशुल्क न्यूज के रूप में समाचार पत्रों में प्रचार प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।
7. आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि केवल वही बैंक खाता विवरण दे जो सक्रिय मोड में है या बैंक निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृति का भुगतान विफल न हो।
8. सभी विद्यालय/संस्थान जहां कोई अल्पसख्यक छात्र/छात्रा पढ रहे हो वे 31.8.2022 तक राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल पर स्वयं को पंजिकृत कर अपने इंस्टिट्युट नॉडल का केवाईसी (KYC) एवं आधार डेमो ऑथेंटिकेशन सुनिश्चित करें।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

पात्रता :–

- **अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति नूतन (Fresh) हेतु पात्रता (जो विद्यार्थी प्रथम बार आवेदन कर रहे है)**

  1. आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (Muslim, Christian, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi (Zoroastrian) का विद्यार्थी हो।
  2. वे छात्र–छात्राएं जिनके माता–पिता/अभिभावकों कीसभी स्रोतों से वार्षिक आय रूपये एक लाख से अधिक न हो। (आय प्रमाण पत्र संलग्न करे)
  3. वे छात्र–छात्राए जिन्होने गत वर्ष की अर्हककारी परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक/समकक्ष ग्रेड या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हैं। (अंक तालिका की प्रति संलग्न करे)
  4. एक परिवार के अधिकतम दो विद्यार्थियों को ही यह छात्रवृति देय है। तदनुसार ही आवेदन करे।
  5. छात्र/छात्रा द्वारा समान कक्षा और सत्र मे अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जा रही हो।

- **अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति नवीनीकरण (Renewal) हेतु पात्रता (जो विद्यार्थी गत वर्ष छात्रवृति का भुगतान प्राप्त कर चुका हो)**

  1. वे छात्र–छात्राएं जिन्हे गत वर्ष मे अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति उनके बैंक खाते के माध्यम से (DBT) भुगतान किया गया है व अपनी मौजूदा एप्लीकेशन आईडी से आवेदन कर सकते है।

2. अन्य समस्त पात्रता शर्ते बिन्दु संख्या 1 से 5 के अनुसार यथावत रहेंगी।

छात्र–छात्रा आवेदन पत्र पोर्टल पर सबमिट करने के उपरान्त उसका प्रिन्ट ले कर निम्नांकित दस्तावेज संलग्न कर स्वयं के विद्यालय मे जमा करवाएगे :–

- छात्र–छात्रा का फोटोग्राफ
- छात्र–छात्रा के आधार कार्ड/आधार नामांकन रसीद की फोटोप्रति
- छात्र–छात्रा के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोप्रति
- छात्र–छात्रा की गत वर्ष उत्तीर्ण की गई अर्हककारी परीक्षा की अंकतालिका की फोटोप्रति
- छात्र–छात्रा के मूल निवासी प्रमाण पत्र की प्रति
- छात्र–छात्रा के अभिभावक/संरक्षक की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
- छात्र–छात्रा का अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होने का प्रमाण पत्र
- छात्र/छात्रा द्वारा कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने संबंधी स्वघोषणा पत्र

परिवार में अधिकतम दो विद्यार्थियों के ही अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति मे लाभार्थी होने की स्वघोषणा

छात्रवृत्ति की दरें

क्र. सं.	मद	छात्रावासी विद्यार्थी (HOSTLLER)	गैर छात्रावासी विद्यार्थी (DAY SCHOLAR)
1.	कक्षा 6 से 10 तक प्रवेश शुल्क	500 रूपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)	500 रूपये वार्षिक या वास्तविक (जो भी कम हो)
2.	कक्षा 6 से 10 तक शिक्षण शुल्क	350 रूपये प्रतिमाह या वास्तविक (जो भी कम हो)	350 रूपये प्रतिमाह या वास्तविक (जो भी कम हो)
3.	**रख–रखाव भत्ता (अधिकतम 10 माह)**		
	(i) कक्षा 1 से 5 तक	शून्य	100 रूपये प्रतिमाह या वास्तविक व्यय (जो भी कम हो) 10 माह के लिए
	(ii) कक्षा 6 से 10 तक	600 रूपये प्रतिमाह या वास्तविक व्यय (जो भी कम हो) 10 माह के लिए	100 रूपये प्रतिमाह या वास्तविक व्यय (जो भी कम हो) 10 माह के लिए

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–मुख्यालय शिक्षा विभाग को पाबंद किया जाता है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों के पात्र विद्यार्थियों द्वारा आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें ।

विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाईट www.minorityaffairs.gov.in. पर जायें, एवं समस्या समाधान हेतु टोल फ्री नम्बर 1800–11–2001 (सुबह 9 बजे से सांय 5:30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार,राजकीय अवकाश को छोडकर) सम्पर्क करे।

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / छाप्रोप्र / बी–1 / असंपूमैछा / 2022–23 / 8-11   दिनांक :– 26/07/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को भिजवाकर निवेदन है कि वे अपने अधीनस्थ जिशिअ कार्यालयों को दिशा–निर्देश जारी कर उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करें।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को भिजवाकर निवेदन है कि वे अपने अधीनस्थ मण्डल कार्यालयों को दिशा–निर्देश जारी कर उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करें।
5. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि वे अपने क्षेत्राधीन समस्त मदरसों को दिशा–निर्देश जारी कर उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करें।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को दिशा निर्देश जारी कर उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करें।
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
9. रक्षित पत्रावली।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

ANNEXURE-IA 4

153681/2022/Estt-MoMA

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति : 2022-23

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) वर्ष **2022-23** के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात मैट्रिक-पू मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए भा सरकार द्वारा अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) से संबंधि छात्रों को अवसर प्रदान करता है।

समय-सीमा

छात्रों द्वारा नई छात्रवृत्ति (पहली बार आवेदक) तथा नवीकरण छात्रवृत्ति (वह आवेदक जिसने 2021-22 के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त की) हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	i. मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	30 सितम्बर, 2022
	ii. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति एवं iii. मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	31 अक्टूबर, 2022

पात्रता

- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) का विद्यार्थी हो।
- वह भारत में सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों में अध्ययन कर रहा हो।
- अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो।
- आवेदक ने पिछले वार्षिक बोर्ड/कक्षा की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हों।

निर्देश

आवेदकों के लिए

- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाइट– **www.scholarships.gov** (इस साइट का लिंक **www.minorityaffairs.gov.in** पर भी उपलब्ध है) या मोबाइल ऐप- **National Scholarship (NSP)** पर छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत 'निर्देश' और 'बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध हैं।
- आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि केवल वही बैंक खाता विवरण दें जो सक्रिय मोड में हो या बैंक निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।

विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों के लिए

- सभी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/ महाविद्यालयों/ विद्यालयों, जहां कोई अल्पसंख्यक छात्र/ छात्रा पढ़ रहे हैं, वे 31/08/2022 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर, अपने इंस्टिट्यूट नोडल ऑफिसर का केवाईसी (KYC) एवं आधार डेमो-ऑथेंटिकेशन सुनिश्चित करें।

विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट **www.minorityaffairs.gov.in** पर जाएं।

...न हेल्पलाइन (टोल फ्री) : **1800-11-2001** (समय सुबह 9:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार, छुट्टी का दिन छो...

Rajasthan Education Department

5

ANNEXURE I

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

Pre-Matric, Post-Matric and Merit-cum-Means SCHOLARSHIP : 2022-23

Ministry of Minority Affairs (MoMA) provides an opportunity to the students belonging to six Minority communities notified by the Government of India (Jain, Buddhist, Sikh, Zoroastrian (Parsis), Muslim and Christian) for availing scholarships under three scholarship schemes viz. Pre-Matric, Post-Matric and Merit-cum-Means based Scholarship for the year 2022-23

Timeline

Last Date for submission of online applications for fresh scholarship (first time applicant) and Renewal scholarship (applicant who has got scholarship during 2021-22) by students.

i. Pre-Matric Scholarship	30th September, 2022
ii. Post-Matric Scholarship & iii. Merit-cum-Means based Scholarship	31st October, 2022

Eligibility

- The applicant should be the student of the notified minority communities (Jain, Buddhist, Sikh, Zoroastrian (Parsis), Muslim and Christian).
- The applicant should be pursuing studies in India in Government or recognized Private University/ Institute/ College/ School.
- The course being pursued should be of Minimum one year duration.
- The applicant should have secured 50% marks in the last annual Board/Class examination.

Instructions

For Applicants

- Applicants are advised to apply online against any one of the scholarship schemes on the website of National Scholarship Portal at- **www.scholarships.gov.in** (a link to the site is also available at- **www.minorityaffairs.gov.in**) .
- Detailed 'Instructions' for filling in online application and 'Frequently Asked Questions (FAQs)' are available on the National Scholarship Portal homepage.
- Applicant is advised to give only that bank account details which remains in active mode or compliant as per bank's instructions so that payment of Scholarship does not fail.

For Universities/Institutes/Colleges/Schools

- All Universities/Institutes/Colleges/Schools, where a minority student is studying, should get themselves registeres (if not done earlier) on National Scholarship Portal with KYC and Aadhaar-Demo-Authentication of their Nodal Officer by 31st August, 2022.

For detailed information - Visit the website of Ministry of Minority Affairs, i.e. **www.minorityaffairs.gov.in.**

Samadhaan Helpline (Toll Free) - **1800-11-2001** (Timing 9:00 AM to 5:30 PM, Monday to Friday, except holidays).

English Ad 16x19 cm

Rajasthan Education Department